न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 19/2019/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 24.1.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. कालूलाल पुत्र चन्दा जाति चमार निवासी ग्राम पचेलकंला तहसील अन्ता जिला बांरा–राज0।
2. बिरधीलाल पुत्र चन्दा जाति चमार निवासी ग्राम पचेलकंला तहसील अन्ता जिला बांरा

...अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 9.5.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 1/2014 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान कालूलाल वगेरा बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बांरा मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 8.6.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया गया कि ख0 नं0 550 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा ख0 नं0 555 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ख0 नं0 730/549 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा ख0 नं0 697/542 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा कुल 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि पूर्व मे अपीलार्थी के पिता के खाते दर्ज थी जिसके बाद सेटलमेंट भूमि का नया ख0न0 813 रकबा 0.39 है0, ख0 नं0 814 रकबा 0.36 है0, ख0 नं0 816 रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 817 रकबा 1.16 है0, ख0 नं0 843 रकबा 0.94 है0 ख0 नं0 847 रकबा 0.17 है0 कुल किता 6 रकबा 3.04 है0 कायम किये गये। इस प्रकार नवीन सेटलमेंट हो जाने से प्रार्थीगण की भूमि लगभग 1/2 बीघा कम करदी गई तथा खेतो का स्थान भी परिवर्तित हो गया। खेतो का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण खेतो की दिशा मे भी परिवर्तन आ गया जबकि प्रार्थीगण अपने पुराने नक्शे के अनुसार बताये गये स्थान पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है। अतः खेतो का नापतोल किया जाकर कमी रकबे की पूति की जावे एवं पुराने नक्शा अनुसार सेटलमेंट विभाग के नये नक्शे को दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 8.6.18 न्याय आपके द्वार अभियान 2018 राजस्व लोक अदालत ग्राम पचेलकला मे दिनांक 8.6.2018 को सेटलमेंट द्वारा रकबे मे कोई कमी दर्ज नही करने से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार कर उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार बनाकर केम्प पचेलकला मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को जेरअपील आदेश से खारिज करने मे त्रुटि की है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट मे पूर्व के मौके की स्थिति व पुराने कब्जे के विपरीत गैरकानूनी व अनाधिकृत रूप से भूमि की स्थिति व आकार मे नक्शें मे गैरकानूनी व अनाधिकृत रूप से परिवर्तन कर दिया राजस्व अभिलेख मे दर्ज रकबे की तुलना मे नक्शा छोटा बना दिया रकबा भी मौके पर पूरा है परन्तु नक्शे मे रकबा कम दर्ज कर

किया जो काबिल दुरूस्ती है। इस तथ्य की पुष्टि रिपोर्ट तहसील दिनांक 13.8.2018 से होती है। अतः तहसील से मुकम्मिल रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही तथा पटवारी हल्का से मौके पर गये बिना ही अधूरी एवं अपूर्ण नई रिपोर्ट बनवाकर आदेश जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। जेरअपील अपीलांट को सूचना दिये बिना अनुपस्थिति मे पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट के वकील के पास जाने पर दिनांक 10.1.2019 को हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः प्रतिलिपी प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तदानुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया नया नक्शा एवं पूर्व नक्शें के व रकबे के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे बसूरत दिगर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि पत्रावली मे अपीलांट को दिनांक 23.1.2018 को आगामी तारीख पेशी 16.4.2018 नियत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 16.4.18 की आदेशिका नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण केम्प कोर्ट मे रख कर निर्णित कर दिया। केम्पकोर्ट की सूचना अपीलांट को नही दी गई तथा अपीलांट की गैरमौजूदगी मे पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार कर फैसला किया है। पटवारी हल्का मौके पर नही गया। बहस मे आगे प्रकट किया कि प्रकरण के संबध मे पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार अन्ता को दिनांक 13.8.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रकरण को दिनांक 8.6.18 को ही केम्प कोर्ट पचेलकला मे रख कर पहले ही फैसला कर दिया। दौनो रिपोर्ट एक ही पटवारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की। रिपोर्ट दिनांक 13.8.18 मे जमाबंदी मे रकबा पूरा होना वर्णित करते हुये नक्शा ट्रेस मे भूमि की लोकेशन चेन्ज करना वर्णित किया गया है, अतः स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाया गया नवीन नक्शा विचलित है। ऐसी स्थिति मे गत नक्शे अनुसार सेटलमेट द्वारा बनाये गये नवीन नक्शें मे दुरूस्ती किया जाना रिपोर्ट मे प्रस्तावित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति मे बिना सूचना दिये पत्रावली केम्प कोर्ट मे रखकर एक पक्षीय रूप से जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अपास्त किया जावे तथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है अतः प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निस्तारण करना न्यायोचित है। चंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 8.6.2018 को अपीलांट को सूचना दिये बिना एक पक्षीय रूप से केम्प कोर्ट पचेलकंला मे पारित किया जाना प्रकट होता है। जिसकी जानकारी दिनांक 10.1.19 को वकील के पास जाने पर होना वर्णित करते हुये अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसका रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया ना ही शपथ के खण्डन मे कोई प्रत्युत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2036 से 2039 एवं अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी पटवार मण्डल पचेलकंला दिनांक 13.8.18 की छाया प्रति के अनुसार ग्राम सरकन्या के साबिक ख0 नं0 550 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, 555 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा ख0 नं0 730/549 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा ख0 नं0 697/542 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा कालू, बिरधा पुत्रान चन्दा जाति चमार के खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबंदी सं0 2066–69 मे उक्त ख0 नं0 के हाल ख0न0 813 रकबा 0.39 है0, ख0 नं0 814 रकबा 0.36 है0, ख0 नं0 816 रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 817 रकबा 1.16 है0, ख0 नं0 843 रकबा 0.94 है0 ख0 नं0

8.17 रकबा 0.17 है0 कुल किता 6 रकबा 3.04 है0 कायम किये गये। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी दिनांक 13.8.18 अनुसार गत रकबे के मुकाबले वर्तमान मे रकबा सही दर्ज हुवा है परन्तु गत/पुराने नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शा विचलित कर दिया गया। मौका स्थिति के अनुसार नया व पुराने नक्शे का मिलान करने पर वर्तमान नक्शा मौके के अनुसार नही बनाया जाना तथा ना ही नक्शे मे सीसवाली–बारा रोड भी दर्शाया गया है जबकि वर्तमान मे मौके पर पक्का रोड निकला हुवा होना वर्णित किया है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट मे मिलान क्षेत्रफल भी सही नही होना वर्णित करते हुये रिपोर्ट मे वर्णित खातेदारान के नक्शा दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रकरण मे प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट इन्द्राज दुरूस्ती से संबधित होना प्रकट होता है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि प्रकरण मे दिनांक 23.1.2018 को आगामी तारीख पेशी 16.4.2018 नियत की गई थी जबकि पत्रावली मे दिनांक 16.4.18 की आदेशिका ही नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण केम्प कोर्ट मे रख कर निर्णित कर दिया। केम्पकोर्ट की सूचना अपीलांट को नही दी तथा अपीलांट की गैरमौजूदगी मे पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार कर फैसला कर दिया। पटवारी हल्का मौके पर नही गया। बहस मे आगे प्रकट किया कि प्रकरण के संबध मे पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार अन्ता को दिनांक 13.8.18 को प्रस्तुत रिपोर्ट मे जमाबंदी मे रकबा पूरा होना वर्णित करते हुये नक्शा ट्रेस मे भूमि की लोकेशन चेन्ज करना वर्णित किया गया है, अतः स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाया गया नवीन नक्शा विचलित है। ऐसी स्थिति मे गत नक्शे अनुसार सेटलमेट द्वारा बनाये गये नवीन नक्शें मे दुरूस्ती किया जाना रिपोर्ट मे प्रस्तावित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति मे बिना सूचना दिये पत्रावली केम्प कोर्ट मे रखकर एक पक्षीय रूप से जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.1.18 अनुसार प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी 16.4.2018 नियत की जाना प्रकट होता है किन्तु पत्रावली दिनांक 8.6.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट पचेलकंला मे रख कर तहसीलदार अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर सेटलमेंट द्वारा रकबे मे कोई कमी दर्ज नही करना वर्णित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर विधिक त्रुटि की है। पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट को केम्प कोर्ट मे प्रकरण रखने की सूचना/नोटिस दिया गया हो। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना प्रकरण को केम्प कोर्ट पचेलकंला मे रख कर एक पक्षीय रूप से निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रकरण सं0 1/14 कालूलाल वगेरा बनाम सरकार धारा 136 एलआरएक्ट मे तहसीलदार अन्ता के पत्र क्रमांक 1634 दिनांक 31.3.14 के परिपेक्ष्य मे पटवारी हल्का पचेलकंला द्वारा दिनांक 13.8.18 को प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट की छाया प्रति पेश की है जिसमें गत नक्शे अनुसार सेटलमेट द्वारा बनाये गयें नवीन नक्शें मे दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं0 1/14 मे शामिल नही है तथा उक्त रिपोर्ट से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना मे दिनांक 8.6.18 को निर्णय पारित कर दिया गया जिसे न्यायोचित नही माना जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय दिनांक 8.6.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये तहसीलदार अन्ता से प्रकरण के संबध मे मुकम्मिल तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करते हुये राजस्व रिकार्ड जमाबंदी तथा सेटलमेंट से पूर्व व बाद के नक्शे तथा मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का समुचित परीक्षण कर पुनः प्रकरण मे विधिसम्मत व तथ्यात्मक आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 9.5..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा